# न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्र0क्र.          /2014 परिवाद

भरत पिता मनोहर ब्राह्मण निवासी ग्राम गिरौल तहसील बीना जिला सागर म0प्र0

**विरूद्ध**

1. सुख सिंह पिता पिता ज्ञनश्याम

2. (1) विजय पिता खेमचंद्र (3) राम सिंह पिता कुदऊं (4) रघुवर पिता (5) गंगाराम बाल मुकुंद पिता (6) भोगीराम राम सिंह पिता (7) हरलाल सभी निवासी ग्राम गिरौल तहसील बीना जिला सागर म0प्र0।

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व सहिता के तहत निगरानी आवेदन

आवेदक की और से निम्नलिखित प्रार्थना हैः–

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

-----

प्रकरण क्रमांक - निग0 926-एक/17 जिला - सागर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 22-2-18 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह एवं अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील जादौन उपस्थित ।<br>2/ अनावेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यह प्रकरण पुजारी नियुक्ति के संबंध में है, जिसके सुनवाई का अधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा जबाव में कहा गया कि प्रकरण पुजारी नियुक्ति का न होकर मंदिर की भूमि पर नामांतरण के संबंध में है अत: अनावेदक की आपत्ति निरस्त की जाये।<br>3/ दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण मुहत्तमकार नियुक्ति के संबंध में है, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं हैं । आवेदक अधिवक्ता द्वारा भी ऐसा कोई दस्तोवज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह माना जाये कि यह प्रकरण नामांतरण का है । ऐसी स्थिति में यह निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है । आवेदक चाहे तो अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने हेतु स्वतंत्र हैं ।<br>प्रशासकीय सदस्य | |